



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वागत संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल थोर, राउज एवेन्यू, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं कक्षा IX से IX के वाचन एवं श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश

CBSE/Acad./Con.(English)/ASL/2013

29 अप्रैल, 2013

परिपत्र संख्या-अका. 27 /2013

के. मा. षि. बो.
संस्थानों के प्रमुख

प्रिय प्रधानाचार्य,

पाठ्यक्रम दस्तावेज़ 2015 भाग-1 में अँग्रेजी के सभी कोर्सों में, अँग्रेजी में वाचन एवं श्रवण कौशलों के मूल्यांकन (Assessment of Speaking and Listening-ASL) के लिए कक्षा IX से XI में 20% के अधिमान को सम्मिलित करने के संदर्भ में, 14 अप्रैल 2013 को CBSE के वेबसाइट पर एक अधिसूचना अपलोड की गई थी। इस परिपत्र के साथ वाचन एवं श्रवण कौशलों के मूल्यांकन को संचालित (conduct) करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक दस्तावेज़ अपलोड किया गया है। इस दस्तावेज़ में IX एवं XI दोनों ही कक्षाओं में से प्रत्येक के लिए वाचन एवं श्रवण के दो नमूना प्रश्नपत्र हैं।

ट्रिनिटी कॉलेज, लंदन के सहयोग से ASL में पथप्रदर्शक परियोजना के एक भाग के रूप में CBSE ने मौखिक परीक्षकों के रूप में 105 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया था। CBSE से संबद्ध सभी विद्यालयों में ASL के कार्यान्वयन के साथ ही अकादमिक सत्र 2013-14 के दौरान वाचन एवं श्रवण कौशलों के व्यावसायिक विकास एवं मूल्यांकन में सहायता करने के लिए प्रत्येक विद्यालय से एक PGT एवं एक TGT यानी कम से कम दो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस प्रशिक्षण की प्रारंभिक अवधि 5 दिनों की होगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम 2013 के जून से अक्टूबर महीनों में आयोजित किया जाएगा।

विद्यालय के प्रमुख अपने विद्यालय के उन उपयुक्त शिक्षकों की पहचान कर सकते हैं जिनमें मौखिक परीक्षक बनने की क्षमता हो और वे निश्चित रूप से 15 मई 2013 तक संलग्न प्रोफार्मा में उनके नाम लिखकर, क्षेत्रीय अधिकारियों के पास भेज दें।

बोर्ड सभी विद्यालयों से मिलने वाले हार्दिक सहयोग की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। यह समर्थन, वाचन एवं श्रवण कौशलों के मूल्यांकन तथा शिक्षण में अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक लंबी दूरी तय करने जा रहा है।

भवदीया

भाषणपाठी

डॉ. साधना पाराषर

प्रोफेसर एवं निदेशक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्स्टट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली. –110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़–160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिविकम सरकार, गंगटोक, सिविकम–737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग, जंगली घाट, पी.ओ.–744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली–110085.
10. शिक्षा अधिकारी / सह-शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के.मा.शि.बो.
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के.मा.शि.बो.
13. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के.मा.शि.बो. के डेस्क अधिकारी / निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के.मा.शि.बो., के निजी सहायक
20. के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेशक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)